

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : कु. सारिका सिंधिया 2. वर्तमान भारत पद : मानि प्रोब्लर

3. वर्तमान वेतन : 46700 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तातुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें भंपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर भारत है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जबलपुर	गृह	-	25,00,000/-	स्वयं			


* जहां लागू न हो काट दोबिये।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतावना जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों-(आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के अंत में यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारत समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर : Sandhya
 नाम : सारिका सिंधिया
 पद : मानि प्रोब्लर

अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी, 2025

1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : श्री विजय कुमार दरयानी
 2 वर्तमान धारित पद : मानचित्रकार, नग्रानि, इंदौर
 3 वर्तमान वेतन : 51000/- + डी.ए.
 4 अचल सम्पत्ति की तारीख : 1 जुलाई 2025

उप जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरा		वर्तमान सूचना	यदि स्वयं के नाम पर न हो, तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया कालीय प्रदत्त बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति के वार्षिक आय	अभियुक्ति
	सूचना अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
इंदौर	92, आशीष नगर, इंदौर	आवासीय	अज्ञात	स्वयं एवं माताजी के नाम पर	श्रीमती गुलाब पति श्री धर्मवीर अग्रवाल एवं श्री राधेश्याम पिता छत्रजी तर्फे आममुख्यार श्री पंकज पिता श्री धर्मवीर अग्रवाल द्वारा उक्त निर्मित भवन कय किया गया है।	75,000 प्रतिवर्ष	क्रय मूल्य रुपये 4.95.000/- शासन से सहमति कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, इन्दौर के पत्र क्रमांक 2029 दिनांक 09/12/1999 द्वारा पुराने भवन को बेचने तथा नये भवन को क्रय करने की अनुमति प्राप्त की गई। भुगतान के स्त्रांत की जानकारी पूर्व भवन क्रमांक एच-112 एल.आय.जी (बी) कॉलोनी, इन्दौर का रुपये 1,30,000/- में व भवन क्रमांक एच/111 एल.आय.जी (बी) कॉलोनी, इन्दौर को रुपये 1.15.000/- में बेचकर व पंजाब नेशनल बैंक से रुपये 1,50,000/- का लोन एवं रुपये 77,000/- दान से प्राप्त किया गया। कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्दौर से मकान के अतिरिक्त निर्माण एव इन्टीरियर कराने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत कार्यालय से रुपये 1,31,000/- सा.भ.नि.से आंशिक अंतिम विकर्षण एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रुपये 5,24,000/- लाख रुपये का लोन भेरी एव माताजी के स्वयं की जमा पूंजी से मकान में अतिरिक्त निर्माण एव इंटीरियर का कार्य किया गया।

हस्ताक्षर : 
 नाम : विजय कुमार दरयानी
 पद : मानचित्रकार, नग्रानि, इंदौर

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.

माधुरी ठाकुर

2. वर्तमान धारित पद

मानविकी अधिकारी

3. वर्तमान वेतन

45300/- सी.ए.

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2025

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
हरदो	—	✓	15,00,000/-	स्वयं	स्टोन के माध्यम से	Mill	
	15,00,000/- कार्य के मूल्यांकन पर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ		24,00,000/-		लोन के माध्यम से	Mill	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अंतिम तिथि पर परवाना-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने श्रेय पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

31/01/25

नाम

माधुरी ठाकुर

पद

मानविकी अधिकारी

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो K. F. SIMON 2. वर्तमान धारित पद Director

3. वर्तमान वेतन 55,900/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/1/2025

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, परदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अयोध्या	G-2, अयोध्या रोड अयोध्या क्वार्टर अयोध्या		मूल्य 50,00,000/- (पचास लाख)	स्वयं के पत्नी के नाम से	पुराने अचल को खरीद कर एक शेयर बैंक से बुग प्रत्य कर उप किया है	स्वयं निवासरत है	

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक राक्षस से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधिन्य की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 13/1/2025
नाम के. एफ. सायमन
पद मानक अधिकारी

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: **श्री अभिवेक उइके** 2. वर्तमान धारित पद: **मानचिजकार**
 3. वर्तमान वेतन: **42700/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख: **01/07/2025**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा न्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	वसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा न्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
देवास	6 मधुबन कालोनी देवास	आवासीय	24,25,000	स्वापिताजी श्री सुखनल जी का नाम नामांतरण प्रख्यात ग्राम की अंत उइके	वर्ष 2008 में 25x40 1000 sq feet में क्यूब पर श्री राजेश अग्रवाल, कृमिया ग्रुप द्वारा निर्मित कवन विक्रय किया गया	-	कूय मूल्य 875000/- बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ष्टन प्राप्त किया।
ग्राम-समारिया इन्दौर	1-45 फाउटी बाक फालोनी शमारिया	आवासीय	99,00,000	पत्नी श्रीमती विनिता उइके व स्वयं के नाम पर	वर्ष 2018 में 30x60 1800 वर्गफीट का क्यूब करवा किया गया।	-	कूय मूल्य 1800000/- बैंक इस्टेट बैंक ऑफ इन्दौर से ष्टन प्राप्त निर्माण कार्य डेलिये 18,07,000/-
ग्राम-समानापुर जिला-बालाघाट	कृषि भूमि	कृषि 4 एकड़ शामिल		पेट्टक सम्पत्ति	पिताजी स्व सुखनल जी उइके के मूल्य के ष्टन शामिल कृषि भूमि	83000/-	

- जहां लागू न हो फाट दीजिए।
 - ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 - इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचा या घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के न्यौर दें।

हस्ताक्षर: *[Signature]*
 नाम: **अभिवेक उइके**
 पद: **मानचिजकार**

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. आनिल कुमार शर्मा 2. वर्तमान धारित पद मानचित्रकार3. वर्तमान वेतन 57400 + P.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई - 2026

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भवानीबाग भोपाल	म. नं० MIG- 37 भवानी- बाग भोपाल	-	-	स्वयं के नाम पर	बैंक से लोन एवं स्वयं की बचत से क्रय किया	-	-

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
 - ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में तगभग मूल्य बतलाया जाए।
 - इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

आनिल कुमार शर्मा 16/01/2025

नाम

आनिल कुमार शर्मा

पद

मानचित्रकार

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो:- श्री शैलेन्द्र कुशवाहा 2. वर्तमान धारित पद :- सहायक मानचित्रकार

3. वर्तमान वेतन :- 37500/- 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख :- जुलाई-2025

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		"वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
मोपाल	प्लेट- 550 वर्गफीट (म0प्र0 गृह निर्माण मंडल से कय किया गया)	—	21,00,000/-	स्वयं	बैंक ऋण द्वारा 12,00,000/- लाख वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है।	निरंक	कय मूल्य रु 13,70,000/ शासन से सहमति -कार्यालय उप संचालक नग्रानि छिन्द से पत्र क्रमांक 3223 दि. 10. 10.18 द्वारा कय करने की अनुमति प्राप्त की गई है। एवं पत्र क्रमांक 1642 दिनांक 16.08. 2022 द्वारा अनुमति प्रदान की गई।
छिन्दवाडा	आवासीय भवन	—	37,00,000/-	पत्नि	बैंक ऋण द्वारा 20,00,000/- लाख वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है व वेतन से बचत द्वारा।		

हस्ताक्षर.....
 नाम..... Shailendra Kumar Kushwaha
 पद..... ASST. Draughtsman

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्यव्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: श्रीमती पिंकी अरोरा 2. वर्तमान धारित पद "सहायक मानचित्रकार"

3. वर्तमान वेतन 55,700/- + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025



उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें भू-संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - डोंगरपुर जिला - उवासीयर	फ्लैट	-	20,00,000/- + रजिस्ट्री 20,60,000/-	स्वयं	उवासीयर ग्राम चिरनाई महादजीनगर आवासीय योजना विकास प्राधिकरण उवासीयर का प्लॉट विक्रय कर फ्लैट क्रय किया गया। दिनांक - 17/7/2018	-	-

CSH
Hishpan
9/11/25

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचा पत्र घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ...
 नाम श्रीमती पिंकी अरोरा
 पद सहायक मानचित्रकार
 दिनांक 08-01-2025

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

राजेश दीवान

2. वर्तमान धारित पद

सहा. मानचित्रकार

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

पुनः 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

शुद्ध

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के परवान पर यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उससे द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम राजेश दीवान
 पद सहा. मानचित्रकार

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, चार्ज

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है बंजनी सिंह शाबर 2. वर्तमान धारित पर सहायक जमानचि प्रकार

3. वर्तमान वेतन 34100 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-07-2025

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्षण से क्या संबंध है	यदि किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, प्रदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	पूर तथा अन्य धवन	पूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	मकान 7.44X12.19 = 90.60 वर्गमीटर	-	31 लाख इन्टीस लाख	स्वयं के नाम	स्वयं (बैंक अंश धार)	-	-

यहाँ तालुका का नाम दर्ज करें।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, या वर्तमान निर्धारित के सदृश में तथ्यात्मक उल्लेख न हो।
 *** इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणियाँ: पाठकदेश शासकीय सेक्टर (आवास) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह माँगा जाता है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार महीने की अवधि के पाठक या खोप्रा-पर या का प्रस्तुत करे और तब वह उनके आचलित का तथा उसके उपर अर्जित आय का उल्लेख विवरण में लिखे या उसके अपने चंप या या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से धारित परदे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर R Singh
 नाम बंजनी सिंह शाबर
 पर सहायक जमानचि प्रकार
नगर तथा ग्राम निवासी शाबर

5

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कृष्ण नंद मेहर 2. वर्तमान धारित पद सहायक मानवीय अधिकारी
 3. वर्तमान वेतन 54100 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2025

उत्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	डाकघर गृह	X	अनुमानित 30,00,000 लात लगभग	X	शांभवा मे आने से पूर्व वर्ष 2008 में शूटिंग कर लिया गया था	नही	वर्ष 2012 में एक डाकघर का सौदा डाकघर गृह का शील्डिंग निर्माण किया गया

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम कृष्ण नंद मेहर
 पद सहायक मानवीय अधिकारी

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अज्ञेय कुंभार पाटक

2. वर्तमान धारित पद

सहायक निरीक्षक

3. वर्तमान वेतन

51000/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, प्रत्य, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्वाथ गवरीघाट, जालमुड जिला जालमुड	गृह	-	35.0 लाख	स्वयं एवं पत्नी के नाम पर	पंजाब नेशनल बैंक जालमुड से लोन जी.पी. एक. व. फर्टिफिकेशन एवं व. कचरा है	-	पूर्व में मुझे एक मकान ग्वाथ गवरीघाट जिला जालमुड में मेरी पत्नी के नाम पर दे दिया गया था जिसे देखा गया था
2. ग्वाथ - गवरीघाट, जिला जालमुड		12000 वर्गफुट	15.0 लाख	स्वयं एवं बेटे के नाम पर	एल. आर. बी. व. लोन मुझे लोन से उधार लिया एवं स्वयं व. वचन है	-	
3. ग्वाथ मुडकाव तहसील कुल्ले जिला जालमुड		1100-0 वर्गफुट	10.22 लाख	मेरी पत्नी व्यक्ति परका के नाम पर लोन एवं अपने परिवार उधार लिया गया है	मेरी पत्नी व्यक्ति परका के लोन एवं अपने परिवार उधार लिया गया है	-	

• जहां लागू न हो कार्ट दीजिए।
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 ••• इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उससे द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर
 नाम अज्ञेय कुंभार पाटक
 पद सहायक निरीक्षक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राश्व

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

31229 240

2. वर्तमान धारित पद

सहायक मनी-यन्त्र

3. वर्तमान वेतन

5,10,00/- + D.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/1/2028

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मेरठ	750 का खुदा		250000	अचल संपत्ति रजिस्ट्रेशन	स्वयं के लोन द्वारा		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाढ़ महीने की अवधि के परचाय या घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

अशोक शर्मा

पद

सहायक मनी-यन्त्र

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

सहायक मानचित्रकार

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: मीना चौहान 2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 49,500 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 29 जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्रीमाल कोटरानुल्लानाबाद	गृह	—	शान्त मही	स्वयं के नाम पर धारित है	—	—	—

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
 - ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 - इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाल यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

मीना चौहान
सहायक मानचित्रकार
9/11/2025

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो:- श्री आनन्द मालवीय 2. वर्तमान धारित पद :- सहायक मानचित्रकार

3. वर्तमान वेतन :-54100/- 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख :- जुलाई-2025

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद,पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला होशंगाबाद तह0 सिवनी मालवा ग्राम खपरिया	-	कृषि भूमि 4.0 एकड़	लगभग 40,00,000/-	स्वयं के नाम	विरासत में प्राप्त	4.50,000/-	निरंक
जिला छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	शिफ्ट कार सफारी कार	-	5,00,000 20,00,000	स्वयं के नाम बेटे के नाम	बैंक ऋण/परिवार के अन्य स्रोत	-	-
जिला छिन्दवाड़ा पटेल कालोनी वार्ड नं. 26	आवासीय भवन	-	लगभग 60,00,000/-	पत्नी के नाम	जी0पी0 एफ0 अस्थाई अग्रिम जी0पी0 एफ0 पार्ट फायनल बैंक ऋण परिवार के अन्य स्रोत	2.20,000/-	-

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्यव्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद




श्री आनन्द मालवीय

सहायक मानचित्रकार

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राष

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक कुमार शर्मा 2. वर्तमान धारित पद अधीनस्थ निरीक्षक
 3. वर्तमान वेतन 48700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025



उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, चंपक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बवालिपुर शाम-भेहरा	श्रवण	-	35,00,000/- पेट्रोल पंप का भाड़ा	श्रीमती कल्पना शर्मा (पत्नी)	श्रीमती कल्पना शर्मा ने अपनी पेट्रोल पंप को भेंट (पट्टा) उपहार के द्वारा उस पेट्रोल पंप को अर्जित किया। जमा/अर्जित दिनांक 15/1/2025	-/-	
बवालिपुर अ.क. सिरोत	श्रवण	-	22,00,000/- कार का भाड़ा	श्रीमती कल्पना शर्मा (पत्नी)	श्रीमती कल्पना शर्मा ने अपने कार का पट्टा अपनी माताजी के नाम किया गया।	-/-	

084
14/1/25
13/1/25

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959-के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाय या घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उससे द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या चंपक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर शर्मा
 नाम अशोक कुमार शर्मा
 पद अधीनस्थ निरीक्षक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

मनोहर लाल इरानी
जग्गर तथा ग्राफ़िनिंग

2. वर्तमान धारित पद

सहायक मानविकार
जिला कोर्ट, भोपाल
01/07/2025

3. वर्तमान वेतन 47500/-
अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें भंपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	फ्लैट नं. F-1/603 ग्रीन एकर जालंधारी भोपाल	—	50,00,000/-	एजेंट के नाम पर	पुराना डफ्तार का फ्लैट निष्पन्न	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिले या उसके अपने पति या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 20/01/2025

नाम मनोहर लाल इरानी

पद सहायक मानविकार

"फार्म"

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष-2025

1. शासकीय सेवक का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो:- श्री सुनील माहौर वर्तमान धारित पद:- सहायक मानचित्रकार,
नगर तथा ग्राम निवेश नीमच,

2 वर्तमान वेतन 33100+डी.ए.

3 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-जुलाई-2025

उस जिला उप संभाग, तालुका, तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा गृह तथा भूमि अन्य भवन		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किस के नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियु क्ति
	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे						
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
मार्डन टाउनशीप कॉलोनी ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)	---	भूखण्ड 23X50 (1150 वर्गफीट)	46,50000 (छियालीस लाख पच्चा हजार)	पत्नि श्रीमति सीमा माहौर के नाम से है	इन्डेसेन्ड बैंक नीमच से लोन लेकर एवं अन्य स्त्रोत से उधार लेकर	--	--

* जहाँ लागु न हो काट दिजिये।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिती के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाऐ।

*** इसमें अल्पकालिन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधिन प्रथम श्रेणी,द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बन्धक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर-.....

नाम- सुनील माहौर

पद - सहायक मानचित्रकार

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अर्चना शोनी

2. वर्तमान धारित पद

सहायक मानचित्रकार

3. वर्तमान वेतन

33100/- सी.ए.

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें भू-संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	वैसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① राजीव नगर आर्य समाज पास हाउसिंग बोर्ड झोपड़ा	EWS-01		—	पति	खरीद, वर्ष 2008	Nil	—
② अलखपुरा	झोपड़ा		—	स्वयं तथा पुत्र	होमलोन	Nil	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने योग पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

15/01/2025

नाम

नीमती अर्चना शोनी

पद

सहायक मानचित्रकार

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जंगदीश लाल जोशी 2. वर्तमान धारित पद सहायक मांगछिन्नकार
 3. वर्तमान वेतन 33100 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, बिरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	प्लट तथा अन्य धक्का	पृथि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① ग्राम रुद्रपुर पुरानी कोठारी उधालिया	-	प्लॉट	300000/- सिमावाय	स्वयं के नाम	बैंक ऑफ इंडिया लागू एरा प्लॉट नंबर 200000/- (दो लाख) एच 100000/- (एक लाख) फिनाजी सि. ए. ए. नंबर प्लॉट 15X50 वर्ग फुट का 2 खंडों का गठन हो	-	-
(2) ग्राम कोठारी पुरानी कोठारी बलरपुर गांव फिना बलरपुर	-	प्लॉट	550000/- पंचायत द्वारा पंचायत द्वारा	स्वयं के नाम	गोदावरी बैंक के बगैर बलरपुर सि. ए. ए. नंबर (प. ए.) 400000/- के लिये 89000/- एरर वॉल्यूम 61000/- लिये के लिये सिमावाय है प्लॉट 25X40 वर्ग फुट	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे बिरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम जंगदीश लाल जोशी
 पद सहायक मांगछिन्नकार

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुनीता बाथम
2. वर्तमान धारित पद सहायक मानचित्रकार
3. वर्तमान वेतन 33100 Basic pay अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 फुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① भवानी थाम के स-1 नरेला शंकरा भोपाल	540 वर्गफीट पर निर्मित 2 लोकस	-	अनुमानित मूल्य 35-40 लाख	पति	पति द्वारा लोन पर क्रेय किया गया था।	-	-
② शरीफ हेमू कॉलाबी आवडिया कला भोपाल	1000 वर्गफीट पर निर्मित 2 लोकस	-	अनुमानित मूल्य 70-80 लाख	पुत्र	पुत्र द्वारा लोन पर क्रेय किया गया था	-	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ...

Setham
16/01/2025

नाम ... सुनीता बाथम

पद ... सहायक मानचित्रकार

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

म-9-भोपाल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

शरिता ठाकुर

2. वर्तमान धारित पद

सहायक मानचित्रकार

3. वर्तमान वेतन 52368/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1 जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भावना नगर ओपाल (म. प्र.)	म. न- A-128 भावना नगर	—	—	स्वयं के नाम पर	स्वयं की बचत एवं बैंक संचयन के माध्यम से किया।	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

Shalini
17/01/25

नाम

शरिता ठाकुर

पद

सहायक मानचित्रकार

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

श्रीमती रश्मि शंखर

2. वर्तमान धारित पद

सहायक मान्यिज्ञकार

3. वर्तमान वेतन 331.00/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निर्णय							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

श्रीमती रश्मि शंखर
सहायक मान्यिज्ञकार

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राध

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. हाकिम सिंह जोशी 2. वर्तमान धारित पद (अ-उपरेवक)
 3. वर्तमान वेतन 27700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उज्जैन-उत्तरापुरा (खीवा) जिला मुर्ना (2054)	खेत	खेत	500000/-	बुद्धक संपत्ति	नहीं	20000/-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में तटस्थ मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : पृथ्वी प्रदेश शासकीय सेवाएं (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाय या घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उक्तमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर हाकिम सिंह जोशी
 नाम हाकिम सिंह जोशी
 पद (अ-उपरेवक)



CSH
 N. Singh
 9/11/25

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष -2025 (01जनवरी 2025)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- मीना वर्मा, अनुरेखक, कार्या0 उप संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सतना म.प्र.

2.वर्तमान धारित पद-अनुरेखक

3. वर्तमान वेतन- 30,300/-

आगामी वेतन वृद्धि की तारीख - 01 जुलाई 2025

उस जिले, उस संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम,जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर ना हो तो बतालाईये कि वह किसके नाम पर धारित है, उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गयाखरीद, पट्टा, बंधक, विरासत,भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)संभाग- जबलपुर जिला- कटनी तहसील-कटनी ग्राम- मुडवारा (म0प्र0)	आवासीय भवन	-	12,00000/- लगभग	स्वयम् के नाम पर धारित हैं।	श्री रोहित शिवहरे पिता श्री मोहनलाल शिवहरे से वर्ष 03.05.2022 में खरीदा गया है।	निरंक	-

*जहाँ लागू न हो काट दीजिये।

**ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थित के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा -पत्र भरकर प्रस्तुत करें,और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके तथा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम-

मीना वर्मा

पद-

अनुरेखक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : अभिषेक आर्य 2. वर्तमान धारित पद : अनुसूच
 3. वर्तमान वेतन : 27,700 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें भू-संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यारा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरा			

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणियाँ: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक जातह महीने की अवधि के परवाना पत्र भर कर प्रस्तुत करें और प्रत्येक वर्ष उनके वर्तमान वेतन तथा उससे द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर धारित अचल सम्पत्ति का नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यारी दें।

हस्ताक्षर : Abhishek
 नाम : अभिषेक आर्य
 पद : अनुसूच

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025 - 10/02/2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सर्वोत्तम चौर

2. वर्तमान धारित पद

अनुरेश्वरक

3. वर्तमान वेतन

25400/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1-7-25

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	शेड	X	20 लाख लगभग	पत्नी के नाम से गृह	बचत द्वारा स्वरीक लोन लेकर बनवाया है। ए।आर।बी. कोड का SBI से लोन	X	
भोपाल वर्डी	EWS	X	लगभग 10 लाख	स्वयं के नाम से 2 B.H.K.	बचत द्वारा स्वरीक पट्टा BDA भोपाल		पंजीशन ले गये। लांक है
मेरठ शिपरनी - हरदो	X	कृषि भूमि 4 एकड़	अज्ञात 10 लाख 2005	स्वयं के नाम से	विरासत हाथ		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर

S. R. Chouhary

नाम

10/2/25
सर्वोत्तम चौर

पद

अनुरेश्वरक

भोपाल, म.प्र.